

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(35)ग्रावि/नरेगा/व्य.का.ला./पार्ट-4/2016 (पार्ट-1)/eo-102965 जयपुर, दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, पाली/सिरोही/जालोर/बाडमेर।

21 AUG 2017

विषय:- अपना खेत अपना काम योजनान्तर्गत अधिसूचित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की संशोधित अनुसूची-1 के बिन्दु सं. 4(1) के उप बिन्दु II (प्रवर्ग आ) पर वर्णित व्यक्तिगत लाभ के कार्यों हेतु बिन्दु सं. 5 पर वर्णित पात्र लाभार्थियों के कार्य स्वीकृत कराये जाने का उल्लेख है।

कृपया अपना खेत अपना काम योजनान्तर्गत दिनांक 04.08.2017 को अधिसूचित अभावग्रस्त 1290 गाँवों (अधिसूचना संलग्न) के महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की संशोधित अनुसूची-1 के बिन्दु सं. 4(1) के उप बिन्दु II (प्रवर्ग आ) पर वर्णित व्यक्तिगत लाभ के कार्यों हेतु बिन्दु सं. 5 पर वर्णित अधिकतम पात्र लाभार्थियों के व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति जारी कराया जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह कैन)

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महो., ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं स्टेट मिशन निदेशक, राजीविका।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली/सिरोही/जालोर/बाडमेर।

परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एक 1(4) आ.प्र.एवं सहा. सामान्य / 2017 / 8424-44 जयपुर, दिनांक 01/8/2017


अधिसूचना

जिला कलक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2017 (संवत् 2074) में बाढ़ से खराबा होने की रिपोर्टों के आधार पर राजस्थान एफेक्टिव एरियाज (सरपेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 4 जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 स 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 अगस्त, 2017 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	प्रस्तावित प्रभावित गांवों की संख्या
1	पाली	621
2	सिराहा	348
3	जालोर	260
4	बाड़मेर	61
	कुल योग:-	1290

Aecw)
9/8

राज्यपाल की आज्ञा से,


(हमन्त कुमार गेरा)
सहारा सचिव